रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3392] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2018/भाद्र 7, 1940
No. 3392] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2018/BHADRA 7, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

का.आ. 4200(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3093 (अ) के तहत अपर सत्र न्यायाधीश-03 नई दिल्ली, पटियाला हाउस कोर्ट को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय के "अपर न्यायाधीश" अर्थात जिला न्यायाधीश-IV-सह-प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (9) के प्रयोजनार्थ कार्य संचालन के लिए नियुक्त किया था;

और जबकि, श्री तरुण सहरावत, अपर सत्र न्यायाधीश-03, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 03 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या का. आ. 37 (अ) के तहत उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (9) के तहत कार्य संचालन करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के विशेष न्यायालय के "अपर न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त किया गया था, को स्थानांतरित कर दिया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की 3 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या

का. आ. 37 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर श्री सौरभ कुलश्रेष्ठ, अपर सत्र न्यायाधीश-03, नई दिल्ली, पटियाला हाउस कोर्ट को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उक्त राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009/आईएस-IV (पार्ट-I)(वोल्यू.2)]

प्रवीण वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2018

S.O. 4200(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 3093 (E) dated the 22nd September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), appointed the Additional Sessions Judge-03, New Delhi, Patiala House Court as "Additional Judge" to the National Investigation Agency Special Court i.e. the District Judge-IV-cum-Additional Sessions Judge in-charge, New Delhi Police District, Patiala House Court, New Delhi for conducting the business under sub-section (9) of section 11 of the said Act;

And whereas, Shri Tarun Sahrawat, Additional Sessions Judge-03, Patiala House Courts, New Delhi who was appointed as the Additional Judge to the National Investigation Agency Special Court for conducting the business under sub-section (9) of section 11 of the said Act *vide* notification number S.O. 37 (E) dated the 3rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and, in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 37 (E) dated the 3rd January, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Acting Chief Justice of High Court of Delhi, hereby appoints Shri Saurabh Kulshreshta, Additional Sessions Judge-03, New Delhi, Patiala House Court as the Additional Judge to the said National Investigation Agency Special Court for the purposes of the said Act.

[F.No. 17011/50/2009/IS-IV(Part-I)(Vol.-2)]

PRAVEEN VASHISTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.05 11:36:15 +05'30'